संख्या-09 /2017-3868(1)/नौ-5-16-01बजट/2015

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम,
लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग- 5 लखनऊ दिनांक 03 जनवरी, 2017

विषयः राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद फिरोजाबाद की नगर पालिका परिषद शिकोहाबाद पुर्नगठन पेयजल योजना की तृतीय किश्त को अवमुक्त करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त मुख्य अभियन्ता (नागर), उ0प्र0 जल निगम लखनऊ के पत्र सं0 236/नागर-2/033-410/16, दिनांक 29.11.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-283/2015-2076/नौ-5-15-1 बजट/2015, दिनांक 13.08.2015 राज्य सैक्टर के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद शिकोहाबाद की पुनर्गठन पेयजल योजना हेतु निर्धारित लागत रू0 9717.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ ही प्रथम किश्त के रूप में रू0 3886.00 लाख का व्यय हो जाने के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-2172/नौ-5-15-99बजट/2015, दिनाक 31.03.2015 द्वारा उ0प्र0 जल निगम के पी0एल0ए0 में जमा धनराशि रू0 2966.00 लाख में से रू0 1591.22 लाख (रू0 पन्द्रह करोड़ इक्यान्वे लाख बाईस हजार मात्र) की धनराशि तृतीय किश्त के रूप में अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय एतदद्वारा निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) संदर्भित शासनादेश दिनांक 13.08.2015 द्वारा निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।

(2) स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम लखनऊ के पी0एल0ए0 से आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पीएलए /डिपोजिट खाते में नही रखी जायेगी।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यवर्तन किसी भी दशा मे नही किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय होने तथा कार्य गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराये जाने के साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने पर अवशेष धनराशि अवमुक्त की जायेगी ।

(5) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का आहरण कोषागार से सुसंगत नियमो/प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों/समय-समय पर निर्गत शासनादेशो के अनुरूप किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा मे उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय।

(8) कार्यो की द्विरावृति/पुनरावृत्ति न हो, इसकी पुष्टि कर ली जाय।

(9) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चत किया जाय।

2- वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित नगर विकास विभाग तथा वित्त विभाग को दे दी जाय।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रदत्त अधिकारो के अधीन जारी किये जा रहे है ।

भवदीय

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी ।

संख्या-09/2017-3968(1)/नौ-5-16-01बजट/2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महालेखाकार, (वर्क्स लेखा अनुभाग), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, लखनऊ/फिरोजाबाद ।
3- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
4- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
6- वित्त (ई-8) अनुभाग/ नियोजन अनुभाग- 3/4
7- वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
8- मुख्य अभियंता (आ0 क्षे0), उ0प्र0 जल निगम, आगरा।
9- अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद शिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद ।
10- सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
11- गार्ड फाइल/ कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी ।

go finance mangal font